



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 405 राँची, बुधवार, 11 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
1 जून, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

6 अप्रैल, 2016

संख्या-एल0जी0-37/2015-69/लेज0 झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 22 मार्च, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

झारखंड सिंगल विंडो क्लीयरेंस अधिनियम, 2015

(झारखण्ड अधिनियम-10, 2016)

औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के उद्देश्य से विभिन्न अनुज्ञप्तियों, अनुमतियों एवं स्वीकृतियों को त्वरित एवम् समयबद्ध मंजूरी प्रदान करने, नए निवेशों को सुगम एवं सरल करने हेतु प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को कम करते हुए विनियामक ढाँचे को सरल बनाने सहज व्यापार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एवम् झारखण्ड राज्य में निवेशकोनुकूल वातावरण उपलब्ध करने हेतु एक विधेयक एवम् यह विधेयक भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में निम्नवत् रूप से झारखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित होता है:-

संक्षिप्त शीर्षक, सीमा एवं प्रारंभ

- (1) यह अधिनियम "झारखंड सिंगल विंडो क्लीयरेंस अधिनियम, 2015" के नाम से जाना जाएगा।
- (2) यह अधिनियम पूरे झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगा।
- (3) यह अधिनियम झारखंड सरकार के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

2. जब तक संदर्भ अन्यथा न हो, इस अधिनियम में

- (1) "एजेंसी", का अभिप्राय झारखंड औद्योगिक संरचना विकास निगम (JIIDCO) है।
- (2) Governing Body (शासी निकाय) का अभिप्राय धारा-4 के तहत गठित समिति है।
- (3) "अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्राय धारा- 25 के अंतर्गत शक्ति प्राप्त समिति है।
- (4) "लागू अधिनियमों" से अभिप्राय है,
 - (क) बिहार दुकान एवम् वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1953
 - (ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
 - (ग) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
 - (घ) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
 - (ङ.) अनुबन्ध श्रम (रेगुलेशन व् एबोलिशन) अधिनियम, 1970
 - (च) ग्रेच्युटि अधिनियम, 1972
 - (छ) समान पारिश्रामिक अधिनियम, 1976
 - (ज) झारखंड वैल्यु एडेड कर अधिनियम, 2005
 - (झ) जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निषेध) अधिनियम, 1974
 - (ञ) वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निषेध) अधिनियम, 1981
 - (ट) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
 - (ठ) बॉयलर अधिनियम, 1923
 - (ड) वेतन भुगतान (payment of wages) अधिनियम, 1936
 - (ढ) कारखाना अधिनियम, 1948
 - (ण) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 - (त) बिहार विद्युत अधिनियम, 1948
 - (थ) झारखंड मनोरंजन कर अधिनियम, 2012

या उत्तराधिकारी/संशोधित अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सुसंगत/प्रासंगिक अधिनियम।

(5) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्राय है सरकार का कोई विभाग या एजेंसी, स्थानीय प्राधिकार, वैधानिक निकाय, राज्य स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज संस्थाएं, नगरीय स्थानीय निकाय या किसी अधिनियम या सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत गठित या स्थापित कोई अन्य प्राधिकार या एजेंसी जिसके पास राज्य में एक (व्यापारिक) प्रतिष्ठान स्थापित करने अथवा संचालित करने के लिए अनुमति प्रदान या जारी करने की शक्ति एवं जवाबदेही है।

(6) "मंजूरी" का अभिप्राय है झारखंड राज्य में उद्यम/प्रतिष्ठान स्थापित करने के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, आवंटन, सहमति, स्वीकृति, अनुमति, निबंधन, नामांकन, अनुज्ञप्ति

जारी/प्रदान करना एवम् इसके अन्तर्गत सम्मिलित होंगे वैसे सारे अनुमति, जो प्रचलित अधिनियमों के अन्तर्गत आवश्यक हैं।

(7) "विभाग" से अभिप्राय है, झारखंड सरकार का विभाग।

(8) "जिला कार्यकारणी समिति" से अभिप्राय है धारा-12 के तहत गठित समिति।

(9) "जिला स्तरीय नोडल एजेंसी" का अभिप्राय है, धारा- 14 के तहत निर्दिष्ट एजेंसी।

(10) "उद्यमी" से तात्पर्य है, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय/समूह या एक कम्पनी, जो (किसी एक) उद्यम में अधिकांश निवेश या नियंत्रण में रूचि रखता है या रखने का प्रस्ताव करता हो और जो निवेश का प्रस्ताव लाता हो।

(11) "सरकार" से अभिप्राय है, झारखंड सरकार।

(12) "High Powered Committe" से अभिप्रेत है, धारा- 6 के तहत गठित समिति।

(13) "औद्योगिक नीति" से तात्पर्य है, झारखंड औद्योगिक नीति या झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य क्षेत्र विशेष नीति अथवा केन्द्र या राज्य (झारखण्ड) सरकार की वैसे योजनाएँ जिन्हें औद्योगिक संवर्द्धन हेतु समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

(14) "अधिसूचना" का तात्पर्य है, झारखंड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं अधिसूचित शब्द का परिप्रेक्ष्यानुरूप अभिप्राय

(15) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के तहत प्रावधानित नियम तथा इस अधिनियम को लागू करने हेतु प्रचलित अधिनियमों के तहत बनाए गए नियम

(16) "Web Portal" से आशय है, एजेंसी द्वारा संधारित वेब पोर्टल।

3. Notification of Agency (एजेंसी का अधिसूचना)

झारखण्ड सरकार, राज्य में नए निवेशों के लिए Single Window तथा औद्योगिक सरलीकरण को सचिवालय समर्थन प्रदान करने हेतु "झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम" (जिडको) को अधिसूचित करेगा।

4. Governing Body (शासी निकाय)

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक Governing Body (शासी निकाय) का गठन किया जाएगा।

(2) धारा- 4.1 के तहत गठित Governing Body (शासी निकाय) में अध्यक्ष एवं निम्न सूचित सदस्य होंगे:-

<u>सदस्य</u>	<u>पदनाम</u>
(क) माननीय मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
(ख). उद्योग मंत्री	उपाध्यक्ष

(ग) वित्त मंत्री	सदस्य
(घ) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री	सदस्य
(ङ.) मुख्य सचिव	सदस्य
(च) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग	सदस्य सचिव
(छ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अन्य नामित, यदि कोई हो	सदस्य

(3) अपने कार्यों के समुचित एवं प्रभावी निर्वहन हेतु, यदि आवश्यक हो तो Governing Body (शासी निकाय) किसी दो विशेषज्ञ सदस्य को सहयोजित कर सकता है।

5. Governing Body (शासी निकाय) के कार्य

राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षणाधीन रहते हुए Governing Body (शासी निकाय) इस अधिनियम के तहत समग्र नीति मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश प्रदान करेगा।

(1) Governing Body (शासी निकाय) अपने प्रभावी कार्य संचालन के लिए आवश्यक Single Window मंजूरी एवं उद्योग सरलीकरण हेतु रणनीति दिशा और मार्गदर्शन तय करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) Governing Body (शासी निकाय) द्वारा पारित आदेश एवं लिए गए निर्णय सभी सरकारी विभाग, प्राधिकार तथा एजेंसी के लिए अंतिम एवं मान्य होगा एवं ऐसे विभाग, प्राधिकार और एजेंसी निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपेक्षित मंजूरी एवं अनुमति जारी करेंगे, बशर्ते निवेशक/आवेदक द्वारा प्रचलित अधिनियमों के सुसंगत प्रावधानों एवं राज्य/केन्द्र सरकार के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए Governing Body (शासी निकाय) "High Empowered committee" एवं "Single Window" मंजूरी समिति को अपने कार्य/शक्ति प्रदान कर या वापस ले सकती है।

(4) Governing Body (शासी निकाय) की बैठकें अपने कार्यों को पूर्ण करने के निमित्त आवश्यकता अनुरूप आहूत की जाएगी, किन्तु "High Empowered committee" एवं "Single Window" मंजूरी समिति के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा एवं जहां आवश्यक हो, वहाँ आवश्यक अनुशंसा प्रदान करने हेतु हर वर्ष कम से कम दो बार निकाय की बैठकें उस जगह आहूत की जाएगी जो निकाय के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(5) Governing Body (शासी निकाय) "High Empowered committee" तथा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विचार कर उचित निर्णय ले सकता है।

(6) Governing Body (शासी निकाय) वृहत एवं अति वृहत उद्योगों के लिए यथा विहित वित्तीय उत्प्रेरण (Incentives) पैकेज के अनुमोदन को अनुशंसित करेगा।

6. High Empowered committee उच्च स्तरीय समिति

(1) इस अधिनियम के उद्देश्य से एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा।

(2) धारा 6.1 के तहत गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति में अध्यक्ष एवं निम्न सूचित सदस्य होंगे:

सदस्य	पदनाम
(क) मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(ख) विकास आयुक्त	सदस्य
(ग) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग	सदस्य
(घ) प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग	सदस्य
(ङ) निदेशक, उद्योग	सदस्य-सचिव

(3) यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो "High Empowered committee" सम्बंधित प्रशासी सचिव अथवा अन्य किसी विभागीय पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

7. Functions of High Powered Committee (उच्च स्तरीय समिति के कार्य):-

(1) उद्योग सरलीकरण एवं Single Window मंजूरी हेतु उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा एकल खिड़की मंजूरी समिति, एजेंसी, जिला स्तरीय नोडल एजेंसी एवं जिला कार्यकारणी समिति के कार्यों का नियमित रूप से निरीक्षण पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाएगी।

(2) समिति शासी निकाय या राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी सम्पन्न करेगी।

(3) इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति इस अधिनियम अथवा शासी निकाय द्वारा प्रदत्त शक्ति/कार्यों के तहत single window मंजूरी समिति और जिला कार्यकारणी समिति को अपने कार्य शक्तियाँ प्रदान कर या वापस ले सकती है।

(4) Single Window मंजूरी समिति एवं जिला कार्यकारणी समिति के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा एवं जहाँ आवश्यक हो, वहाँ आवश्यक अनुशंसा प्रदान करने हेतु कम से कम हर तिमाही में एक बार उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठक उस जगह आहूत की जाएगी जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(5) Single Window मंजूरी समिति के अनुशंसा पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की स्वीकृति देगा। उच्च शक्ति प्राप्त समिति सभी वृहत एवं अति वृहत परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की अनुशंसा शासी निकाय को करेगा।

(6) High Empowered committee, Single Window मंजूरी समिति के CEO द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विचार कर उचित निर्णय ले सकती है।

(7) यदि आवश्यक हो तो किसी भी मुद्दा/मामला/प्रस्ताव को अपनी अनुशंसाओं एवं सुझावों के साथ समिति शासी निकाय को निर्दिष्ट/संसूचित करेगी।

(8) समिति, राज्य में निवेश और अन्य संबंधित गतिविधियों के संवर्द्धन के लिए जिम्मेदार होगी।

(9) High Empowered committee संबंधित विभाग को विभिन्न प्रचलित अधिनियमों के तहत दी जाने वाली हर सेवा के लिए समय-सीमा की अनुशंसा करेगी।

(10) High Empowered committee संबंधित विभाग के लिए लागू विभिन्न प्रचलित अधिनियमों के तहत स्व-प्रमाणन, डीम्ड मंजूरी, निरीक्षणों एवं तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षणों के युक्तिकरण की अनुशंसा करेगी।

8. Single Window Clearance Committee (एकल खिड़की मंजूरी समिति)

(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एकल खिड़की मंजूरी समिति का गठन किया जाएगा।

(2) धारा 8.1 के तहत गठित एकल खिड़की मंजूरी समिति में मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (CEO) एवं निम्न सूचित सदस्य होंगे:-

सदस्य	पदनाम
(क) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग	अध्यक्ष
(ख) प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त	सदस्य
(ग) प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार	सदस्य
(घ) प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास	सदस्य
(ङ.) प्रधान सचिव/सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	सदस्य
(च) प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	सदस्य
(छ) प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा	सदस्य
(ज) प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन	सदस्य
(झ) प्रधान सचिव/सचिव, खनन एवं भूतत्व	सदस्य
(ञ) अध्यक्ष झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	सदस्य
(ट) निदेशक, उद्योग	सदस्य, संयोजक

(3) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, Single Window मंजूरी समिति के अध्यक्ष होंगे। आवश्यकतानुसार Single Window मंजूरी समिति किसी विभागीय सचिव अथवा अन्य किसी विभागीय पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है।

9. Functions of Single Window Clearance Committee (एकल खिड़की मंजूरी समिति) के कार्य:-

राज्य सरकार समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन रहते हुए

(1) Single Window मंजूरी समिति, उद्यम स्थापना तथा उद्यम संचालन की शुरुआत जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, के लिए मंजूरीयों (को प्रदान करने) की शक्ति का प्रयोग करेगी।

(2) Urban Local bodies तथा Panchayati Raj Institutions सहित अन्य वैधानिक निकायों में निहित शक्तियों को छोड़कर राज्य सरकार उचित अधिसूचना के माध्यम से यदि ऐसा आवश्यक हो तो, किन्हीं अन्य शक्तियों को इसको (समिति को) हस्तांतरित कर सकती है।

(3) SWCC द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण मंजूरीयों एवं स्वीकृतियों की अवस्था तक किया जा सकता है। तदोपरांत सभी मंजूरीयों एवं स्वीकृतियाँ संबंधित उचित प्राधिकार द्वारा जारी किए जायेंगे।

(4) MSME परियोजनाओं हेतु वित्तीय प्रोत्साहन (Incentives) का अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा तथा MSME के अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए अनुमोदन हेतु समिति, उच्च शक्ति प्राप्त समिति को अनुशंसा भेजेगी।

10. Officers/Employees of the Agency (एजेंसी के पदाधिकारी/कर्मचारी):-

(1) विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को संबंधित प्रशासी विभाग/संगठन द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर एजेंसी में नियुक्त किया जाएगा, इनमें शामिल हैं:-

(क) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का एक पदाधिकारी, जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे का ना हो।

(ख) नगर विकास एवं आवास विभाग का एक पदाधिकारी, जो मुख्य नगर प्लानर के पद से नीचे का ना हो।

(ग) श्रम विभाग का एक पदाधिकारी, जो संयुक्त श्रमायुक्त के पद से नीचे का ना हो।

(घ) वाणिज्य-कर विभाग का एक पदाधिकारी, जो संयुक्त वाणिज्यकर आयुक्त के पद से नीचे का ना हो।

(ङ.) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक पदाधिकारी, जो मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का ना हो।

(च) झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का एक पदाधिकारी, जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे का ना हो।

(छ) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का एक पदाधिकारी जो, निदेशक, भूमि अर्जन के पद से नीचे का ना हो।

(ज) खनन विभाग का एक पदाधिकारी, जो अपर निदेशक, खनन के पद से नीचे का ना हो।

(2) यदि विभाग/संगठन उप-धारा-1 में वर्णित श्रेणी/पद के पदाधिकारी देने में असमर्थ हो तो, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, एजेंसी में अपनी प्रतिनियुक्ति तक, उप-धारा-1 में वर्णित पद के पदाधिकारी के समान माने जायेंगे, परन्तु इससे वे किसी अतिरिक्त वित्तीय लाभ के अधिकारी नहीं होंगे।

(3) सभी नियामक विभाग, जो अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करते हैं, उद्यम स्थापना और उद्यम संचालन शुरू करने के लिए सारी नई परियोजनाओं को समय-सीमा के अंदर स्वीकृति प्रदान करने के लिए JIICO में प्रतिनियुक्त अपने वरीय पदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा सशक्त करेंगे। ऐसी अधिसूचना जारी होने तक प्रतिनियुक्त पदाधिकारी समय-सीमा के भीतर ऐसी मंजूरीयों के आवेदनों के निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(4) SWCC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एजेंसी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के ऊपर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करेगा, परन्तु धारा-1 में वर्णित पदाधिकारी जिनकी सेवाएँ प्रतिनियुक्ति के आधार पर एजेंसी में पदस्थापन की गई अपने मूल विभाग/संगठन में अपने संवर्ग के संबद्ध नियम और विनियम द्वारा शासित होंगे।

(5) एजेंसी, अनुबन्ध या आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस अधिनियम के तहत उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु अन्य कर्मियों की आवश्यकता को पूरी करेगी।

11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के कार्य:-

(1) CEO उद्योग विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के प्रभार में भी होंगे।

(2) CEO समय-समय पर राज्य में लगाए जाने वाली औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में किसी उद्यमी से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा उन पर विचार एवं उन पर कार्रवाई करेंगे।

(3) Governing Body (शासी निकाय) "High Empowered Committee" एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा दिये गए शक्तियों/कार्यों का प्रयोग CEO द्वारा किया जाएगा।

(4) CEO राज्य में निवेश अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी प्रयासों का समन्वय करेगा।

(5) CEO सभी दस्तावेजों, अनुमोदनों एवं SWCC द्वारा जारी निदेशों या अनुदानों के आवंटन पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम अधिकारी (प्राधिकार) होगा।

(6) CEO किसी मामला/मुद्दा/प्रस्ताव को अपनी अनुशंसाओं एवं सुझावों, यदि वह आवश्यक समझें को, "High Empowered Committee" को निर्दिष्ट करेगा।

(7) CEO विभिन्न परियोजनाओं में SWCC द्वारा दिये गए अनुमोदन की समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगा।

(8) CEO, Governing Body (शासी निकाय) एवं "High Empowered Committee" (उच्च शक्ति प्राप्त समिति) के लिए मासिक, तिमाही एवं अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट बनाने एवं प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होगा।

(9) CEO निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लागू करने के लिए एवं अनुमोदन/मंजूरी देने के लिए JIIDCO में प्रतिनियुक्त विभागों के विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से सभी विभागों से समन्वय करेगा।

(10) CEO निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लागू करने के लिए एवं अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने के लिए सभी विभाग/प्राधिकार/कार्यालय जिन्होंने अपने पदाधिकारियों को JIIDCO में प्रतिनियुक्त नहीं किया से समन्वय करेगा।

(11) CEO राज्य में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को सभी तरह के आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(12) CEO, JIIDCO द्वारा अनुरक्षित एवं संचालित, Single Window मंजूरी के वेब-पोर्टल के कार्यों की अनुश्रवण, समीक्षा एवं मूल्यांकन करेगा।

12. जिला कार्यकारणी समिति (District Empowered Committee)

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जिला स्तर पर एक समिति का गठन कर सकता है जो "जिला कार्यकारणी समिति (DEC)" कही जाएगी।

2) धारा 12.1 के तहत गठित जिला कार्यकारणी समिति में अध्यक्ष एवं निम्नसूचित सदस्य होंगे-

सदस्य	पदनाम
(क) जिला के उपायुक्त	अध्यक्ष
(ख) जिला वाणिज्यकर उपायुक्त	सदस्य
(ग) क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्वद	सदस्य
(घ) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव
(ङ) जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य
(च) श्रम विभाग के जिला पदाधिकारी	सदस्य
(छ) जिला के संबंधित बिजली वितरण कम्पनी जिसके अन्तर्गत जिला आता हो के कार्यपालक अभियंता	सदस्य
(ज) जिला खनन पदाधिकारी	सदस्य
(झ) प्रमंडल वन अधिकारी	सदस्य

13. जिला कार्यकारणी समिति के कार्य (Functions of District Executive Committee)

(1) इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, जिला कार्यकारणी समिति नियमित रूप से जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के काम-काज का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेगा।

(2) धारा-7 के तहत यह समिति "High Empowered Committee" (उच्च शक्ति प्राप्त समिति) द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का सम्पादन करेगी।

(3) इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति इस अधिनियम अथवा उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा प्रदत्त शक्ति/कार्यों के तहत जिला स्तरीय नोडल एजेंसी को कार्य/शक्तियाँ प्रदान कर या वापस ले सकती है।

(4) अपने (जिला कार्यकारणी समिति के) कार्यों (कार्य प्रदर्शन) की समीक्षा एवं जहाँ आवश्यक हो, वहाँ आवश्यक अनुशंसा प्रदान करने हेतु कम-से-कम महीने में एक बार जिला कार्यकारणी समिति की बैठक उस जगह आहूत की जाएगी जिसे समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(5) जिला कार्यकारणी समिति, जिला स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर विचार कर उचित निर्णय ले सकती है।

(6) यदि ऐसा आवश्यक हो तो किसी भी मामला/मुद्दा/प्रस्ताव को अपनी अनुशंसाओं एवं सुझावों के साथ, समिति, उद्योग विभाग को भेजेगी।

(7) जिला कार्यकारणी समिति का एक सदस्य व्यक्तिगत रूप से इसकी बैठक में हिस्सा लेगा और यदि वह बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वे एक वरीय अधिकारी को बैठक में उचित निर्णय लेने हेतु लिखित प्राधिकार पत्र देकर प्रतिनियुक्त करेगा।

(8) समिति जिला में उद्योगों के प्रोत्साहन एवं अन्य गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी।

(9) जिला कार्यकारणी समिति, प्रगति रिपोर्ट बनाने एवं उसे जिला योजना समिति को सौंपने के लिए जिम्मेदार होगी।

14. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी (District Level Nodal Agency)

जिला उद्योग केन्द्र एजेंसी एवं जिला कार्यकारणी समिति का जिला स्तरीय नोडल एजेंसी होगा।

15. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के कार्य (Functions of District Level Nodal Agency)

(1) यह जिले में निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों में सहायता प्रदान करेगी।

(2) यह जिले में उद्यमियों को निवेश एवं उनकी परियोजनाओं या औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

(3) यह उद्यमियों को आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराने एवं उद्यमियों से भरा हुआ प्रपत्र प्राप्त करने जहाँ कहीं भी अधिकृत हो सहित विविध मंजूरीयों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा और विभागों एवं प्राधिकारों से आवश्यक मंजूरी को नियत समय में उद्यमियों के लिए सुगम करेगा।

(4) यह कार्यकारणी समिति एवम् जिला कार्यकारणी समिति द्वारा सौंपी गयी और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से प्रत्यायोजित शक्ति/कार्यों का प्रयोग करेगा।

16. अनुमान्य मंजूरीयों (Eligible Clearances)

(1) सभी प्रस्तावित या मौजूद निवेश, जिसमें एक या अधिक प्रचलित/लागू अधिनियमों के अंतर्गत मंजूरी की आवश्यकता हो, एकल खिड़की मंजूरी वेब-पोर्टल के माध्यम से सुविधा प्राप्ति के पात्र होंगे जब कभी वेब-पोर्टल पर संबंधित प्रचलित अधिनियम के तहत मंजूरी की सुविधा होगी।

(2) उप-धारा-1 में सुगमित मंजूरीयों के अतिरिक्त सभी मंजूरीयों के मामलों में संबंध में एजेंसी में नियुक्त अधिकारी सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियम समय-सीमा के भीतर मंजूरी प्रदान करने की कार्रवाई करेगा।

17. समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

(1) SWCC के CEO औद्योगिक नीति के तहत वृहत उद्योगों के लिए एवं वैसे मामले जिनमें सरकार के द्वारा विशेष निर्देश प्राप्त हुआ हो, के समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) वृहत उद्योग के निमित्त समझौता ज्ञापन पर SWCC के CEO उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पूर्वानुमति के पश्चात् हस्ताक्षर करेंगे।

18. वेब-पोर्टल (Web Portal)

विभिन्न प्रचलित/लागू अधिनियमों एवं समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत सभी मंजूरीयों के Single Window मंजूरी हेतु वेब-पोर्टल का अनुरक्षण एवं संचालन करेगी।

19. एकीकृत आवेदन प्रपत्र (CAF)

(1) प्रचलित अधिनियमों एवं समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत निर्धारित वर्तमान आवेदन प्रपत्र की जगह एक एकीकृत आवेदन प्रपत्र सशुल्क जारी किया जायेगा। सभी सक्षम प्राधिकार ऐसे प्रपत्र (Combined Application Form) को कार्रवाई हेतु स्वीकार करके आवश्यक मंजूरी प्रदान करेंगे।

(2) बशर्ते कि जहाँ कोई आवेदन प्रपत्र एवं शुल्क ऐसी मंजूरीयों के लिए केन्द्रीय अधिनियमों में प्रावधानित हो, आवेदन उसी प्रपत्र में एवं उसी शुल्क के साथ जमा किया जाएगा जिस शुल्क के साथ जमा किया जाना है।

20. स्व-प्रमाणन (Self-Certification)

(1) प्रत्येक उद्यमी को पूरी तरह से तैयार CAF को जमा करने के समय विहित प्रपत्र में स्वप्रमाणन प्रस्तुत करना होगा और उसके बाद सक्षम प्राधिकार के समक्ष विहित समय-सीमा के भीतर स्वप्रमाणित करना होगा कि वह प्रचलित अधिनियमों के लागू प्रावधानों एवं उसके तहत बने नियमों का अनुपालन करेगा।

(2) उद्यमी द्वारा उप-धारा-1 के तहत प्रस्तुत स्व-प्रमाणन को सक्षम प्राधिकार द्वारा उद्यमियों को अनुदान एवं मंजूरी प्रदान करने एवं अन्य लाभ देने के उद्देश्य से स्वीकार किया जायेगा।

21. निरीक्षणों की युक्तियुक्तता (Rationalisation of Inspections)

(1) प्रचलित अधिनियमों एवं विविध स्तर के प्राधिकारों के नियमों के प्रावधानों के तहत निरीक्षण श्रमायुक्त कार्यालय एवं झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पंथ और अन्य द्वारा वर्ष में एक बार किया जायेगा।

(2) विभाग जोखिम आधारित मूल्यांकन, जैसा कि अपने-अपने नियमों/उप नियमों में विहित है के आधार पर निरीक्षण करेगा, परन्तु विशेष शिकायत के विरुद्ध निरीक्षण विभागीय प्रमुख की लिखित अनुमति के पश्चात् किया जा सकता है।

22. तृतीय पक्ष का निरीक्षण (Third Party Inspections)

प्रचलित अधिनियमों या विभिन्न राज्य प्राधिकारों के नियमों के प्रावधानों के तहत निरीक्षण जहाँ लागू होता हो, सक्षम प्राधिकारों के Empanelment तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों द्वारा विहित किया जा सकता है। तृतीय पक्ष निरीक्षण रिपोर्ट को ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जा सकता है, में प्रस्तुत किया जायेगा।

23. निस्तारण की प्रक्रिया (Procedure of Disposal)

(1) मंजूरीयों के लिए आवेदनों का निस्तारण उस प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा जैसा कि विहित किया जा सकता है।

- (2) उप-धारा-1 में निर्दिष्ट आवेदनों का निस्तारण निर्धारित/विहित समय अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) मंजूरीयों प्रदान करते समय उपयुक्त प्राधिकार आवेदक से अतिरिक्त सूचनाओं की मांग कर सकता है।
- (4) बशर्ते कि अतिरिक्त सूचना सक्षम प्राधिकार द्वारा ऐसी मंजूरीयों के लिए निर्धारित समयावधि के अंदर मांगा जाएगा।
- (5) पुनः बशर्ते कि अतिरिक्त सूचनाएँ केवल एक बार मांगी जाएगी।
- (6) यदि उपयुक्त प्राधिकार द्वारा आवेदक से कोई अतिरिक्त सूचना नहीं मांगी जाती है तो वह (प्राधिकार) निर्धारित समय-सीमा के समाप्ति के पहले मंजूरीयों के संदर्भ में आवेदन पर आदेशों को निर्गत करेगा।
- (7) मंजूरीयों के लिए अतिरिक्त सूचना मांगे जाने के मामले में आवेदन को निर्धारित समयावधि जो अतिरिक्त सूचना प्राप्ति तिथि से गिनी जाएगी के भीतर निस्तारण किया जायेगा।

24. डीमड स्वीकृति (Deemed Approval)

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मंजूरी नहीं दिये जाने या अन्तिम आदेश जारी नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित मंजूरीयों को डीमड स्वीकृति माना जाएगा।

25. अपील (Appeals)

- (1) जिला कार्यकारणी समिति, जिला स्तरीय नोडल एजेंसी और एजेंसी द्वारा परियोजना को रद्द किये जाने के निर्णय या कोई अन्य शिकायत से पीड़ित उद्यमी समिति के निर्णय की सूचना प्राप्ति तिथि के 30 दिन के अन्दर Single Window मंजूरी समिति से जैसा कि विहित हो सकता है (प्रथम अपील कर सकता है)। Single Window मंजूरी समिति के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पास होंगे।
- (2) High Powered Committee के आदेश के विरुद्ध प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग के माध्यम से द्वितीय अपील शासी निकाय के समक्ष किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत शासी निकाय का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्य होगा।
- (3) विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अपीलीय प्राधिकार अपील प्राप्ति के एक माह के अन्दर या समिति के आगामी बैठक जो बाद में हो अपील का निष्पादन करेगा।

26. शुल्क (Fee)

आवेदकों द्वारा एकीकृत आवेदन प्रपत्र (CAF) या अन्य प्रपत्र में जो लागू अधिनियम या नियमों के तहत शुल्क जो विहित हो के साथ हो, ऐसे मंजूरीयों के आवेदन जमा किए जायेंगे।

27. नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules)

- (1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति होगी।

- (2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मंजूरीयों से संबंधित इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन को यदि यह इसे लोकहित में आवश्यक समझती हो तो शिथिल कर सकती है।
- (3) इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को सत्राधीन झारखण्ड विधान सभा के समक्ष तुरंत रखा जाएगा, और यदि विधान सभा सत्राधीन न हो तो नियम को अधिसूचित होने की तिथि के तुरंत बाद वाले सत्र में रखा जाएगा।

28. अभिभावी प्रभाव (Overriding Effect)

इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधानित को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधान, राज्य के कोई अन्य उस समय लागू कानून (नियम) में निहित किसी असंगति के बावजूद भी प्रभावी होंगे।

बशर्ते कि जुर्माना, दण्ड, शुल्क और अन्य समान प्रावधान यदि प्रचलित अधिनियम के तहत कोई हो तो, लागू अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगाए जायेंगे और विहित तरीके से जमा किए जायेंगे।

29. गत्यारोध के निराकरण की शक्ति (Power to remove difficulties)

- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के क्रम में किसी प्रकार के गत्यारोध उत्पन्न होते हैं तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से विसंगत न हो, व जो गत्यारोध को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगी।

30. अर्थदण्ड (Penalty)

- (1) किसी एजेन्सी या विभाग या उपयुक्त प्राधिकार द्वारा दिये गए स्व-प्रमाणन की शर्तें या जिम्मेदारियों का पालन करने में असफल रहने की स्थिति में उद्यमी को प्रथम दोष पर पन्द्रह हजार रुपये तक और दूसरे दोष या उसके बाद के प्रत्येक दोषों पर पच्चीस हजार रुपये तक के दण्ड का सामना करना होगा।
- (2) उपयुक्त प्राधिकार, लागू अधिनियम के तहत विहित नियम के अनुसार कानून के तहत उपर्युक्त उप-धारा (1) को प्रभावी बनाने के लिए सक्षम होगा।
- (3) अर्थदण्ड अधिरोपित करनेवाला सक्षम प्राधिकार एजेन्सी को संसूचित करने के साथ संबंधित उद्यमी को अर्थदण्ड के संबंध में संसूचित करेगा। संसूचन जारी होने की तिथि से तीस दिन के अन्दर, उद्यमी को ऐसे अधिरोपित राशि को एजेन्सी के पास जमा करना होगा।
- (4) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से अर्थदण्ड की राशि को परिवर्तित कर सकती है।

31. सद्भाव कृत कार्रवाई से अभिरक्षण (Protection of action taken in good faith)

Governing Body (शासी निकाय) एवं "High Empowered Committee" (उच्च शक्ति प्राप्त समिति) अथवा Single Window मंजूरी समिति या जिला कार्यकारणी समिति या एजेन्सी या जिला स्तरीय नोडल एजेन्सी से अध्यक्ष या अन्य सदस्य या ऐसे समिति के कोर कर्मी के द्वारा इस अधिनियम या उसके तहत बने किसी नियम के अन्तर्गत सदभाव कृत कार्रवाई के विशिष्ट को याचिका या विधिक कार्यवाही नहीं लायी जा सकेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राज कमल मिश्रा,

प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

6 अप्रैल, 2016

संख्या-एल0 जी0-37/2015-70/लेज0 झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2016 को अनुमत झारखंड सिंगल विंडो क्लीयरेंस अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

JHARKHAND SINGLE WINDOW CLEARANCE ACT, 2015

(Jharkhand Act-10,2016)

An Act to provide for accelerated and time bound grant for various licences, permissions and approvals to promote of industrial development; to facilitate new investments; to simplify the regulatory framework by reducing procedural requirements and rationalising documents, to improve ease of doing business, and to provide for an investor friendly environment in the State of Jharkhand; and

Be it enacted by the Jharkhand Legislative Assembly in the 66th year of the Republic of India as follows:

1. Short title, extent and commencement

- (1) This Act may be called the “**Jharkhand Single Window Clearance Act, 2015**”
- (2) It shall extend to whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the official Gazette.

*Short title,
extent and
commencement*

2. In this act, unless the context otherwise requires:

- a) “Agency” means the Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation (JIIDCO);
- b) “Governing Body” means the body constituted under Section 4;
- c) “Appellate Authority” means the committee as empowered under section 25;
- d) “Applicable Acts” means
 - a. The Bihar Shops and Commercial Establishment Act, 1953
 - b. The Central Sales Taxes Act, 1956
 - c. The Maternity Benefit Act, 1961
 - d. The Payment of Bonus Act, 1965
 - e. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
 - f. The Gratuity Act, 1972

Definitions

- g. The Equal Remuneration Act, 1976
- h. The Jharkhand Value Added Tax Act, 2005
- i. The Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974
- j. The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981
- k. The Environment (Protection) Act, 1986
- l. The Boiler Act 1923
- m. The Payment of Wages Act 1936
- n. The Factories Act 1948
- o. The Minimum Wages Act, 1948
- p. The Bihar Electricity Act 1948
- q. The Jharkhand Entertainment Tax Act, 2012

Or successor/amended Act or any other relevant Act notified by the State Government;

- e) "Appropriate Authority" means any department or agency of the Government, Local Authority, Statutory Body, State Owned Corporation, Panchayat Raj Institutions, Urban Local Bodies or any other authority or Agency constituted or established under any Act or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue permissions for setting up or commencement of operations of an enterprise in the State;
- f) "Clearance" means grant or issue of no-objection certificate, allotment, consents, approvals, permissions, registrations, enrolments, licences and the like, by any Appropriate Authority in connection with the setting up of an enterprise in the State of Jharkhand and shall include all such permissions as are required under any applicable acts;
- g) "Department" means a department of the State Government of Jharkhand;
- h) "District Executive Committee" means the committee constituted under Section 12;
- i) "District Level Nodal Agency" means the agency specified under Section 14;
- j) "Entrepreneur" means a person or body of persons or a company, having or proposing to have majority investment or controlling interest in an enterprise and who brings forth a proposal for investment;
- k) "Government" means the State Government of Jharkhand;
- l) "High Powered Committee" means the committee constituted under Section 6;
- m) "Industrial Policy" means Jharkhand industrial policy or other sector specific policies or schemes of Central or Government of Jharkhand as notified from time to time for industrial promotion.
- n) "Notification" means a notification published in the Jharkhand Gazette and the word 'notified' shall be construed accordingly;
- o) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act and rules made under applicable Acts to implement this Act.
- p) "Web Portal" means web portal maintained by the Agency.

3. Notification of Agency

*Notification
of JIIDCO*

The Government of Jharkhand shall notify the "Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation (JIIDCO) to provide secretariat support to single window clearance and industrial facilitation for the new investments in

the State.

4. Governing Body

Constitution of Governing Body

- (1) There shall be constituted a 'Governing Body' for the purposes of this Act.
 (2) The Governing Body constituted under section 4.1 shall consist of the Chairman and the following members:

Members	Designation
a. Hon'ble Chief Minister	Chairman
b. Industry Minister	Vice Chairman
c. Finance Minister	Member
d. Revenue, Registration and Land Reforms Minister	Member
e. Chief Secretary	Member
f. Principal Secretary/Secretary, Industry	Member -Secretary
g. Other nominations by the State Government if any	Members

- (3) The Governing Body may co-opt any other member if so required, for proper and effective discharge of its functions.

The Apex Committee may co-opt any other member if so required, for proper and effective discharge of its functions

5. Functions of Governing Body

Fun

Subject to the overall control and superintendence of the State Government, the Governing Body shall provide overall policy guidance and direction under this Act.

Functions of Governing Body

- (1) The Governing Body shall be responsible for setting the strategic directions and guidance for the Single Window Clearance and industries facilitation required for its effective functioning.
 (2) The orders passed and decisions taken by the Governing Body shall be final and binding on all Government Departments, Authorities and Agency and such Departments, Authorities and Agency shall issue requisite clearance

and permissions within the stipulated time limit, provided that the relevant provisions of the applicable Acts and Rules of the State Government or Central Government are complied by the investor/ applicant.

- (3) The Governing Body may assign or revoke its functions / powers to High Powered Committee and Single Window Clearance Committee for effective implementation of this Act.
- (4) The Governing Body shall meet as often as required to carry out its functions but it shall meet at least twice in every year at such place, as the Chairman of the Governing Body may decide, for performance review of the High Powered Committee and the Single Window Clearance Committee; and for providing necessary recommendations where required.
- (5) The Governing Body may also consider matters referred by the High Powered Committee and the State Government, and take appropriate decisions.
- (6) The Governing Body shall grant approval of financial incentive packages for Mega and Ultra-mega projects on the recommendation of the High-Powered Committee.

6. High Powered Committee

Constitution of High Powered Committee

- (1) There shall be constituted a High Powered Committee for the purpose of this Act.
- (2) The High Powered Committee constituted under section 6.1 shall consist of the Chairman and the following members:

Members	Designation	<i>Chairman and Members of High Powered Committee</i>
a. Chief Secretary	Chairman	<i>Chairman and Members of High Powered Committee</i>
b. Development Commissioner	Member	
c. Principal Secretary/Secretary, Industry	Member	
d. Principal Secretary /Secretary, Finance	Member	
e. Director of Industries	Member-Secretary	

- (3) The High Powered Committee may invite other department secretaries or any other officer of a Department as a special invitee as required.

7. Functions of High Powered Committee

Functions of High Powered Committee

- (1) The High Powered Committee shall regularly monitor, supervise and review the functioning of the Single Window Clearance Committee, Agency, District Level Nodal Agency and District Executive Committee for industries facilitation and single window clearance.
- (2) It shall carry out such other functions as may be assigned to it by the

Governing Body or the State Government.

- (3) The Committee may assign or revoke the functions / powers to the Single Window Clearance Committee and District Executive Committee within the powers / functions assigned under this Act or by the Governing Body for effective implementation of this Act.
- (4) The High Powered Committee shall meet at least once in every quarter at such place, as the Chairman of the Committee may decide, for performance review of the Single Window Clearance Committee and District Executive Committee; and for providing necessary recommendations where required.
- (5) The High Powered committee shall grant approval of financial incentive packages for large projects on the recommendation of Single Window Clearance Committee. The High Powered Committee shall recommend financial incentive packages for all Mega and Ultra-mega projects to governing body.
- (6) The High Powered Committee may also consider matters referred to it by the CEO of Single Window Clearance Committee and take appropriate decisions.
- (7) It shall further refer any case / issue / proposal to the Governing Body with its recommendations and suggestions, if considered necessary.
- (8) The Committee shall be responsible for promoting investments in the state and other related activities.
- (9) The High Powered Committee shall recommend the time-line for each service provided under various applicable Acts to the concerned department.
- (10) The High Powered Committee shall recommend self-certification, deemed clearances, rationalisation of inspections and third party inspections under various applicable acts wherever applicable to the concerned department.

8. Single Window Clearance Committee

- (1) There shall be constituted a Single Window Clearance Committee (SWCC) for the purpose of this act.
- (2) The Single Window Clearance Committee shall consist of the following composition:

	Members	Designation
a.	Principal Secretary/Secretary, Industry	Chief Executive Officer
b.	Principal Secretary /Secretary, Finance-cum-Planning	Member
c.	Principal Secretary/Secretary, Revenue, Registration and Land Reform	Member
d.	Principal Secretary/Secretary, Urban Development and Housing.	Member
e.	Principal Secretary/Secretary, Labour, Employment and Training	Member
f.	Principal Secretary, Forest, Environment and	Member

	Climate Change	
g.	Principal Secretary/Secretary, Energy	Member
h.	Principal Secretary/Secretary, Water Resources	Member
i.	Principal Secretary/Secretary, Mining and Geology	Member
J.	Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board	Member
k.	Director of Industries	Member- Convener

(3) The Principal Secretary, Department of Industries shall be Chairman of this Single Window Clearance Committee. The Single Window Clearance Committee may invite the other departmental Secretaries or any other officer of any department as a special invitee as required.

9. Functions of Single Window Clearance Committee

Subject to overall control and superintendence of the State Government,

- (1) The Single Window Clearance Committee shall exercise powers of clearances for setting up of business and starting of business operations as notified by State Government.
- (2) The State Government may devolve upon it any other powers, if so required, through appropriate notification except the powers vested with the statutory bodies including ULBs and PRIs. The SWCC shall pursue the proposals with regards to ULBs and PRIs directly with them or through the Deputy Commissioner of the district concerned to facilitate their early clearance.
- (3) The delegations of powers shall be exercised by the SWCC up to the stage of clearances and approvals. All clearances and approvals, thereafter, shall be issued by the Appropriate Authority concerned.
- (4) Financial incentives for MSME projects shall be approved by this Committee and other than MSME projects, this committee shall recommend to the High Powered Committee for approval.

10. Officers/Employees of the Agency

- (1) The Officers of various departments shall be placed in the Agency on deputation/ secondment by concerned administrative department /organizations, include
 - a. An Officer not below the rank of a Chief Engineer in the Jharkhand State Pollution Control Board.
 - b. An Officer not below the rank of the Chief Town Planner in the Department of Urban Development and Housing.
 - c. An Officer not below the rank of Joint Labour Commissioner in the Department of Labour

- d. An Officer not below the rank of the Joint Commissioner Commercial Tax in the Department of Commercial Tax
 - e. An Officer not below the rank of Chief Conservator of forests in the Department of Forest, Environment and Climate Change.
 - f. An Officer not below the rank of Chief Engineer in Jharkhand BijliVitrان Nigam Ltd
 - g. An Officer not below the rank of Director of Land Acquisition in the Department of Revenue, Registration and Land Reforms.
 - h. An officer not below the rank of Additional Director of Mines from the Department of Mines and Geology
- (2) In case the department/organizations is unable to provide the officers of the rank mentioned in sub-section-1, the deputed/secondment officer shall be deemed to be in the rank mentioned in sub-section-1 till he remains on deputation with Agency. However, this will not entitle him any additional financial benefits on this account.
 - (3) All regulatory departments who grants approvals/clearances shall empower their depute/secondment senior officer in the JIDCO through notification to grant approvals within a time-frame for all new projects to setting-up of business and starting business operations. Till such notification, the deputed/seconded officers shall be responsible for disposal of applications for such clearances applications within the time-limit.
 - (4) The Chief Executive Officer of the SWCC shall exercise the powers of supervision and control over all the officers on deputation/secondment to the Agency. However, the Officers as mentioned in sub-section-1 whose services are placed with the Agency on deputation or secondment shall continue to be governed under the relevant rules and regulations of their respective cadres in their parent departments/organizations.
 - (5) The Agency shall provide other staff requirement to discharge responsibility under this Act through contact or outsourcing mode.

11. Functions of Chief Executive Officer(CEO):

- (1) CEO shall also be the Principal Secretary/Secretary in charge of the Department of Industries.
- (2) The CEO shall examine, consider and process the proposals received from any entrepreneur relating to industrial and other projects to be set up in the State from time to time.
- (3) The CEO shall exercise all the powers/ functions assigned by the Governing Body, High Powered Committee and as delegated from time to time by the State Government by notification
- (4) The CEO shall coordinate all efforts for promoting investments in the state and other related activities.
- (5) The CEO shall be the competent authority to sign all documents, approvals and sanction of grants or instructions issued by SWCC.
- (6) The CEO shall refer any case / issue / proposal to the High Powered Committee with its recommendations and suggestions, if considered necessary.
- (7) The CEO shall review and monitor investments in various projects for which the approvals have been granted by the SWCC.
- (8) The CEO shall be responsible for preparation, submission of monthly, quarterly, half yearly and yearly progress reports to the Governing Body

*Functions
of Chief
Executive
Officer*

and High Powered Committee.

- (9) The CEO shall coordinate with all departments through various officers of departments deputed or seconded in the JIIDCO to grant approval/clearances and to implement the investment proposals on ground.
- (10) The CEO shall also coordinate with all departments/authorities/offices who are not deputed or seconded their officers in the JIIDCO to grant approval/clearances and to implement the investment proposals on ground.
- (11) The CEO shall provide all necessary assistance to entrepreneurs to set up industries in the State.
- (12) The CEO shall regularly monitor, review and evaluate the functioning of web-portal of Single Window Clearance maintained and operated by the JIIDCO.

12. District Executive Committee – DEC

Constitution of District Executive Committee

- (1) The State Government may by notification constitute committee at district level called as “District Executive Committee”.
- (2) The District Executive Committee constituted under section 12.1 shall consist of the Chairman and the following members, namely:-

Members		Designation
a.	Deputy Commissioner of the District	Chairman
b.	Deputy Commissioner Commercial Tax Officer of the District	Member
c.	Regional Officer, Jharkhand Pollution Control Board	Member
d.	General Manager of DIC	Member Sec
e.	District Planning Officer	Member
f.	District officer of Labour Department	Member
g.	Executive Engineer of the District of concerned Electricity Distribution Company under which district falls	Member
h.	District Mining Officer	Member
i.	Divisional Forest Officer	Member

- (3) The District Executive Committee may invite an officer of the concerned Department as a special invitee if so required

13. Functions of District Executive Committee

Functioning of District

- (1) The District Executive Committee shall regularly monitor, supervise and review the functioning of the District Level Nodal Agency for the effective implementation of the Act. *Executive Committee*
- (2) It shall carry out such other functions as may be assigned to it by the High Powered Committee under section 7.
- (3) The Committee may assign or revoke the functions / powers to the District Level Nodal Agency within the powers / functions assigned by the Act or by the High Powered Committee for effective implementation of this Act.
- (4) The District Executive Committee shall meet at least once in every month at such place, as the Chairman of the Committee may decide, for performance review of the District Executive Committee; and for providing necessary recommendations wherever required.
- (5) The District Executive Committee may also consider matters referred to it by the District Level Nodal Agency and take appropriate decisions.
- (6) It shall further refer any case / issue / proposal to the Department of Industries with its recommendations and suggestions, if considered necessary.
- (7) A member of the District Executive Committee shall personally attend its meeting and in case he/she is unable to attend, he/she may depute a Senior Level Officer with a written authorisation to take appropriate decisions in the meeting.
- (8) The Committee shall be responsible for promoting investments in the District and other related activities.
- (9) The District Executive Committee shall be responsible for preparation and submission of progress reports to the District Planning Committee.

14. District Level Nodal Agency

District Industries Centre shall be the District Level Nodal Agency of the Agency and District Executive Committee.

District Level Nodal Agency

15. Functions of District Level Nodal Agency

- (1) It shall assist in investment promotional activities in the district.
- (2) It shall guide and assist entrepreneurs in investment and setting up their projects or industrial units in the district.
- (3) It shall guide the entrepreneurs on various clearances, including providing application forms and also to receive the filled up forms from them wherever authorised and facilitate the entrepreneur on required clearances from the departments and authorities within the stipulated time.
- (4) It shall exercise all the powers/ functions assigned by the Single Window Clearance Committee and the District Executive Committee and as delegated time to time by the State Government by notification.

Functioning of District Level Nodal Agency

16. Eligible Clearances

- (1) All proposed or existing investments which need clearance under one or more of the applicable acts shall be eligible for facilitation through single window clearance web-portal, whenever facility for clearance is available

Eligible Clearances

in the web-portal for concerned applicable acts.

- (2) For all clearances other than facilitated under sub section (1), officers of departments placed in the agency shall process for clearances within the time-line prescribed by appropriate authority.

17. Memorandum of Understanding

Memorandum of Understanding

- (1) The CEO of the SWCC or any authorised Officer shall sign memorandum of understanding (MoU) only for mega industries as provided under industrial policy and cases in which Government has given specific direction to do so.
- (2) The CEO of the SWCC shall obtain the approval of High Powered Committee before signing such MoU for mega industries.

18. Web- Portal

Web portal

The Agency shall maintain and operate web-portal for single window clearance of all clearances under various applicable Acts and Industrial Policy, as notified from time to time, under this Act.

19. Combined Application Form(s) (CAF)

Combined Application Form

- (1) The Combined Application Form(s) (CAF) shall be prescribed, along with such fees, in lieu of existing forms prescribed under applicable Acts and Industrial Policy, as notified from time to time. All appropriate authorities shall accept such CAF for processing and issue of required clearances.
- (2) Provided that where any form and fee has been prescribed for such clearances in any Central law, the applications shall be submitted only in that very form along with that fee to be submitted.

20. Self-Certification

Self-Certification

- (1) Every entrepreneur shall furnish a self-certification, in such form as may be prescribed, at the time of submitting the duly completed CAF and thereafter the appropriate authority within in the prescribed time limit that he/she shall comply with the applicable provisions of the applicable Acts and rules made there under.
- (2) The self-certification furnished as in sub-section (1) by the entrepreneurs(s) shall be accepted by the appropriate authorities for the purpose of granting and issuing of clearance and giving other benefits to the entrepreneur(s).

21. Rationalisation of Inspections

Rationalisation of Inspection

- (1) Inspections under the provisions of applicable Acts or Rules by different levels of authorities, shall be conducted jointly by the office of the Labour Commissioner and Jharkhand State Pollution Control Board and other,

once in a year.

s

- (2) Department shall conduct inspection based on risk based assessment as maybe prescribed in their respective rules/bye-laws. However, inspection against specific complaints may be conducted with the authorisation of the Head of the Departments.

22. Third Party Inspections

*Third
Party
inspection
s*

Inspections under the provisions of applicable Acts or Rules by different state authorities, wherever applicable, may be prescribed to conduct through empanelled third party inspection agencies of appropriate authorities. The Third Party Inspection Report shall be furnished in such form as may be prescribed.

23. Procedure for Disposal

*Procedure
for
Disposal*

- (1) The applications submitted for clearances shall be disposed of by following such procedure, as may be prescribed.
- (2) The applications referred to in sub-section (1), shall be disposed of within such period as prescribed.
- (3) While granting clearances, the Appropriate Authority may ask for any additional information from the applicants;
- (4) Provided that such additional information shall be sought by the Appropriate Authority within the period prescribed for such clearances.
- (5) Provided further that any additional information shall be called for only at one time.
- (6) If no additional information is sought by the Appropriate Authority from the applicant, it shall pass orders on the application with regard to clearances before the expiry of the stipulated period.
- (7) In case, additional information is sought for clearances, the application shall be disposed of within the stipulated period, which shall be counted from the date of receipt of the additional information.

24. Deemed Approval

*Deemed
Approval*

The State Government may, by notification, notify the clearances in respect of which, failure by the appropriate authority to grant clearance or pass final order within the period specified shall be treated as a deemed approval. .

25. Appeals

Appeals

- (1) Any entrepreneur aggrieved by the decision of the District Executive Committee, District Level Nodal Agency and Agency disapproving the project, or any other grievances may make, within thirty days from the date of receipt of communication of the decision of the Committee, first appeal to the Single Window Clearance Committee as may be prescribed. Appeal against the order of Single Window Clearance Committee shall lie with High Powered Committee.
- (2) The second appeal against the order of High Powered Committee shall lie

with Governing Body through Principal Secretary/Secretary Industries and decision of Governing Body is final and binding on all under this Act.

- (3) The Appellate Authority shall, after following such procedure, as may be prescribed, dispose of the appeal within a period of one month from the date of its receipt or the next Body/Committee meeting whichever is later.

26. Fee

Fee for clearances

The Application for such clearances shall be submitted by the applicants in such Combined Application Form – CAF or any other form prescribed under applicable Act or rules thereof along with such fee, as may be prescribed.

27. Power to make rules

Power to make rules

- (1) The State Government shall have the power to make rules to carry out the purposes of this Act.
- (2) The State Government may, by notification, exempt from the operation of any of the provisions of this Act relating to clearances, if it considers necessary to do so in public interest.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid immediately before the Jharkhand Legislative Assembly if it is in session, and if it is not in session, in the session immediately following the date on which such rule is notified.

28. Overriding effect

Overriding effect

Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other state law for the time being in force.

Provided that fine, penalty, duty and other similar provisions if any under applicable Act, shall be imposed as per provisions of the applicable Act, and shall be deposited as prescribed.

29. Power to remove difficulties

Power to remove difficulties

- (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

30. Penalty

Penalty

- (1) Any entrepreneur who fails to comply with the conditions or undertakings in the self-certification given the Agency or Department or appropriate authorities shall face penalty which may extend to fifteen thousand rupees for the first offence and up to twenty five thousand for the second or subsequent offences.
- (2) The appropriate authority shall be competent for enforcement of the above

sub-section (1) as per law according to the prescribed rule under the applicable Act.

(3) The appropriate authority imposing the penalty shall communicate the same to the entrepreneur concerned with intimation to the Agency. The entrepreneur shall deposit the amount of such imposed penalty with the Agency within thirty days of the issue of communication.

(4) The amount of penalty may be changed from time to time by government through notification.

31. Protection of action taken in good faith

No suit or legal proceeding shall lie against the Chairman or other members of the Governing Body or High Powered Committee or Single Window Clearance Committee or District Executive Committee or Agency or District Level Nodal Agency or any employees of such committee in respect of anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any Rule made there under.

*Protection
of action
taken in
good faith*

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राज कमल मिश्रा,

प्रभारी प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।
